आपराधिक विविध

H. R. Sodhi and Manmohan Singh Gujral, न्यायमूर्ति. के समक्ष,

राज्य (न्यायालय की ओर से)-याचिकाकर्ता।

बनाम

कंवल सिंह,-प्रतिवादी।

आपराधिक विविध। नं. 1968 का 1091-एम।

5 मई, 1970।

धारा 479-ए, दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का 5) कुछ न्यायालय-विशिष्ट निष्कर्षों के तहत झूठी गवाही के लिए कार्रवाई-यदि आवश्यक हो-धोखाधड़ी साक्ष्य प्रदान करने वाले गवाह के संबंध में व्यापक टिप्पणियां-यदि पर्याप्त हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 479-क के अधीन शक्तियों के प्रयोग की शर्तों को न्यायालय द्वारा उक्त धारा में निर्दिष्ट अपराधों की श्रेणी के लिए अभियोजन का निर्देश देने के समक्ष पूरा किया जाना चाहिए और यह पर्याप्त नहीं है कि किसी कारण का विचारण करने वाले सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय या किसी अपील न्यायालय का केवल यह मत हो कि किसी साक्षी ने न्यायिक कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर जानबूझकर गलत साक्ष्य दिया है या इस प्रकार उपयोग किए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई साक्ष्य गढ़ा है। इसलिए, किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की इच्छा रखने वाले न्यायालय को निम्नलिखित प्रभाव के स्पष्ट शब्दों में निष्कर्ष दर्ज करने होंगेः-(i) न्यायालय की राय में, गवाह ने जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्ष्य दिया है या जानबूझकर इस तरह से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ऐसा साक्ष्य गढ़ा है और (ii) झूठी गवाही की बुराइयों और झूठे साक्ष्य के निर्माण के उन्मूलन के लिए और न्याय के हित में, यह समीचीन है कि ऐसे गवाह पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो न्यायालय को प्रतीत होता है कि उसके द्वारा किया गया था। यदि न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद गवाह को वास्तव में शिकायत दायर करने से पहले सुनवाई का अवसर देना उचित समझता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई पूर्ण दायित्व नहीं है। अभियोजन आवश्यक नहीं है और प्रत्येक मामले में लोक हित में है और इसलिए निर्णय या अंतिम आदेश देने वाले न्यायालय को उस स्तर पर धारा 479-ए में दिए गए निष्कर्षों को दर्ज करके अभियोजन शुरू करने की वांछनीयता पर अपना दिमाग पूरी तरह से लगाना चाहिए। उस व्यक्ति को अपील का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है जिसके खिलाफ धारा 479-ए के तहत आदेश पारित किया जाता है, जबकि ऐसा अधिकार उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ संहिता की धारा 476-ए के तहत कार्यवाही की जाती है।

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. बेदी और माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल की खंडपीठ ने 11 जुलाई, 1968 को न्यायालय की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अधीन आपराधिक अपील, 1966 की 288 से उद्भूत होने वाले मामले का विनिश्चय किया था, जिसमें प्रत्यर्थी के विरुद्ध किसी कानूनी परिणाम के भय के बिना अपने कथन बदलने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था।

निर्णय

H. R. SODHI, न्यायमूर्ति- (1) 1968 का यह आपराधिक विविध आवेदन 1091-एम इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा 11 जुलाई, 1968 को निर्णय की गई 1966 की आपराधिक अपील 288 से उत्पन्न हुआ है। गांव बरौना, तहसील और जिला रोहतक के सोन्धु के पुत्र राम सिंह और धूमन को सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत गांव सिलाना, पुलिस स्टेशन, सांपला के अधिकार क्षेत्र में एक काली राम की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया था और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

(2) मृतक और दोषी बरौना गाँव के थे। यह आरोप लगाया गया था कि मृतक रोहतक के उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने खिलाफ सुरक्षा कार्यवाही की सुनवाई के सिलसिले में सिलाना में विश्राम गृह गया था, जो घटना के दिन वहां अपना न्यायालय आयोजित कर रहे थे। कहा जाता है कि काली राम की अदालत में पेश होने के बाद लौटने के

दौरान दोषियों ने हत्या कर दी थी। प्रतिवादी कंवल सिंह, चश्मदीद गवाहों में से एक था, जो एक रस्सी बनाने वाला है और पुलिस स्टेशन खरखोदा के आसपास रहता है, और अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दिन सिलाना गाँव से लौट रहा था, जहाँ वह रस्सियाँ तैयार करने के लिए जूट खरीदने गया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि यह उपलब्ध नहीं था। उन्होंने दोषी मजिस्ट्रेट के समक्ष दो बयान दिए, एक 18 सितंबर, 1965 को और दूसरा 31 जनवरी, 1966 को। इन दोनों बयानों में उसने आरोपी को फंसाया था। 10 मार्च, 1966 को हुए मुकदमे में, वह अपने पिछले बयानों से पीछे हट गए और इस बात से पूरी तरह से इनकार किया कि उन्होंने कभी इस घटना को देखा था। उनके द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने पुलिस के दबाव में दोषी मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले बयान दिए थे। सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत दोषी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयानों को अपनी फाइल में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें सही पाया क्योंकि वे अन्य चश्मदीद गवाहों का समर्थन करते थे। अपील की सुनवाई करने वाली पीठ ने सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों की पुष्टि की और दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। विद्वान न्यायाधीशों ने अपील को खारिज करते हुए प्रतिवादी कंवल सिंह के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं, जिन्हें विस्तार से दोहराना आवश्यक हैः —

"अंत में, हम कंवल सिंह (P.W.) के प्रकार के गवाहों पर टिप्पणी करने के लिए विवश हैं।" 17) जिन्हें किसी भी कानूनी परिणाम के डर के बिना अपने बयान बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनके साथ उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए। हमें यह भी लगता है कि यह एक उचित मामला है जिसमें कंवल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 479.A (5) में निर्धारित किया गया है, और जिसके द्वारा विचार किया गया नोटिस उसे जारी किया जाएगा।"

तदनुसार प्रतिवादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर गलत सबूत देने के लिए शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जाए। वह इस न्यायालय के एक अधिवक्ता श्री मुनीश्वर पुरी के माध्यम से पेश हुए हैं। उनके द्वारा दायर जवाब में यह कहा गया है कि इस अदालत द्वारा जारी किया गया नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 479.A (5) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, और यह कि प्रतिवादी 25 साल का एक युवक है जो पहली बार A.S.I के दबाव में गवाह के रूप में पेश हुआ। निरंजन सिंह, जो उस समय खरखोदा से जुड़े हुए थे। उसके द्वारा यह कहा गया है कि उसकी दुकान पुलिस स्टेशन के सामने स्थित है और उसे सहायक उप-निरीक्षक द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत देने के लिए बुलाया गया था, हालांकि उसने कभी कोई घटना नहीं देखी। श्री पुरी ने हमारे समक्ष दृढ़ता से तर्क दिया कि निर्णय दिए जाने के समय अपील की सुनवाई करने वाली पीठ ने कोई निश्चित राय नहीं दी थी, कि प्रतिवादी ने जानबूझकर गलत साक्ष्य देने का अपराध किया था और झूठी गवाही की बुराइयों के उन्मूलन के लिए और न्याय के हित में, यह समीचीन था कि ऐसे गवाह पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। विवाद यह है कि मुख्य अपील में निर्णय में प्रथम दृष्टया राय की रिकॉर्डिंग की अनुपस्थिति में, धारा 479.A (5) की आवश्यकताओं के साथ कोई सख्त अनुपालन नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ जारी नियम को छुट्टी दी जानी चाहिए।

(3) विद्वत वकील का अगला निवेदन यह है कि अभियुक्त केवल एक गरीब मजदूर था जिसे पुलिस द्वारा आकस्मिक चश्मदीद गवाह के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि उसका घटना स्थल पर होने का कोई कार्य नहीं था और यह सुरक्षित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष उसका बयान गलत था और यही कारण था कि विचारण न्यायाधीश ने उसके अभियोजन का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने डॉ. बी. के. पाल चौधरी बनाम असम राज्य (1) शब्बीर हुसैन भोलू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2) परशोतम लाल एल. वीर भान बनाम मदन लाल बशमबर दास (3) बहादुरमल बनाम राज्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। (4),और रतन चंद और अन्य बनाम श्री पी. सी. भाटिया और एक अन्य (5) ने प्रस्तुत किया कि धारा 479.A (1) में परिकल्पित विशिष्ट निष्कर्ष यदि प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाया जाना था, तो आपराधिक अपील में इस न्यायालय के फैसले में की गई सामान्य टिप्पणियां पर्याप्त नहीं हैं। इन मामलों के तथ्यों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। डॉ. बी. के. पाल चौधरी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य (1) (SUPRA). और शब्बीर हुसैन भोलू (2) (उपर्युक्त) ने यह निर्धारित किया है कि धारा 479-क के अधीन शक्तियों के प्रयोग की शर्तों को न्यायालय द्वारा

उक्त धारा में निर्दिष्ट अपराधों की श्रेणी के लिए अभियोजन का निर्देश देने से पहले पूरा किया जाना चाहिए और यह पर्याप्त नहीं है कि किसी कारण या अपील के किसी न्यायालय का विचारण करने वाले सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय की केवल यह राय है कि किसी गवाह ने न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर जानबूझकर गलत साक्ष्य दिया है या इस प्रकार उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ऐसा कोई साक्ष्य गढ़ा है। इसलिए, किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की इच्छा रखने वाले न्यायालय को निम्नलिखित प्रभाव के स्पष्ट शब्दों में निष्कर्ष दर्ज करने होंगेः-

(I) न्यायालय की राय में, गवाह ने जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्ष्य दिया है या जानबूझकर इस तरह से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ऐसा साक्ष्य गढ़ा है, और

(II) झूठी गवाही की बुराइयों और झूठे साक्ष्य के निर्माण के उन्मूलन के लिए और न्याय के हित में, यह समीचीन है कि ऐसे गवाह पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो न्यायालय को प्रतीत होता है कि उसके द्वारा किया गया था।

यदि न्यायालय, इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, वास्तव में शिकायत दायर किए जाने से पहले गवाह को सुनवाई का अवसर देना उचित समझता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई पूर्ण दायित्व नहीं है। जैसा कि न्यायमूर्ति हरबंस सिंह ने राम प्यारा बनाम राम लाल (6) में कहा है, "संहिता की धारा 479-ए के प्रावधान स्पष्ट हैं और उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है और केवल यह तथ्य कि वे बहुत तकनीकी और कठोर हैं और वे अदालत में झूठी गवाही के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियों के साथ अदालत को हथियार देने के अपने उद्देश्य को विफल करते हैं, हमारे लिए संहिता के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। विशिष्ट निष्कर्षों को अभिलिखित करने की आवश्यकता के पीछे एक उद्देश्य है क्योंकि एक न्यायालय से एक गवाह की गवाही की जांच करने और प्रथम दृष्टया एक सकारात्मक राय बनाने की अपेक्षा की जाती है कि वह (गवाह) जानबूझकर गलत सबूत दे रहा है और झूठी गवाही की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए यह न्याय के हित में है और उस पर मुकदमा चलाना समीचीन है। अदालतों को सच्चाई का पता लगाने के लिए भूसे से अनाज को अलग करना पड़ता है और कई बार गवाह का बयान उसके सभी विवरणों में सच नहीं हो सकता है। जैसा कि उगार अहीर और अन्य बनाम बिहार राज्य (7) में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप्स द्वारा अवलोकन किया गया है, शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में असत्य का एक दाना या किसी भी तरह से अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण नहीं होता है। अभियोजन को प्रत्येक मामले में आवश्यक और लोक हित में नहीं कहा जा सकता है और इसलिए निर्णय या अंतिम आदेश देने वाले न्यायालय को उस स्तर पर धारा 479-ए में दिए गए निष्कर्षों को दर्ज करके अभियोजन शुरू करने की वांछनीयता पर अपना दिमाग पूरी तरह से लगाना चाहिए। उस व्यक्ति को अपील का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है जिसके खिलाफ धारा 479-ए के तहत आदेश पारित किया जाता है, जबकि ऐसा अधिकार उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ धारा 476-ए के तहत कार्यवाही की जाती है। धारा 479-क के अधीन आदेश के लिए पूर्व-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें श्री पुरी की प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना होगा और यह निर्णय करना होगा कि आपराधिक अपील में निर्णय में की गई उपरोक्त टिप्पणियां धारा 479-क का अनुपालन करती हैं या नहीं। हमने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ये टिप्पणियां धारा 479-ए में विचार किए गए निष्कर्षों से कम हैं। यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी को किसी भी कानूनी परिणाम के डर के बिना अपना बयान बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उससे उपयुक्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। इन शब्दों में यह पढ़ना संभव नहीं है कि इस अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि कंवल सिंह प्रतिवादी ने जानबूझकर गलत सबूत दिए थे। टिप्पणियाँ गवाह की निंदा की प्रकृति में अधिक हैं, न कि उसके जानबूझकर गलत सबूत देने के बारे में एक निष्कर्ष। इसके बाद फैसले में कहा गया है कि मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमें कंवल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए, जैसा कि धारा 479-ए में निर्धारित है। पुनः, इन टिप्पणियों को इस निष्कर्ष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है कि झूठी गवाही की बुराइयों के उन्मूलन और न्याय के हित में, प्रतिवादी पर मुकदमा चलाना समीचीन है। टिप्पणियां सामान्य प्रकृति की हैं और धारा 479-ए में देखे गए कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार श्री पुरी की आपत्ति में बल है कि कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है और प्रतिवादी कंवल सिंह पर धारा 479-ए के तहत मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। चूंकि कारण बताने के लिए

प्रतिवादी को नोटिस दिया गया था, इसलिए हमने उसे गुण-दोष पर भी सुना है। हम संतुष्ट हैं कि न्याय के हित में या झूठी गवाही के अपराध के लिए प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाना भी आवश्यक नहीं है।

(4) पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध 11 जुलाई, 1968 को जारी नियम का निर्वहन किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा)**